**संख्या– /VI-4/2024–59(08)18 (CP No-68218)**

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : फरवरी, 2024**

**विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–312/2018 "डीडीहाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा" के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2102/मु0मं0घो0/2023–24 दिनांक 25.01.2024 के सन्दर्भ में उपरोक्त मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणन रू0 100.00 लाख मात्र के सापेक्ष टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 95.10 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत रू0 57.06 लाख (रू0 सत्तावन लाख छः हजार) मात्र की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**(i)** अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि निर्गत की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

**(ii)** यह धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

**(iii)** स्वीकृत/धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

**(iv)** स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

**(v)** प्रश्नगत धनराशि का आहरण व वितरण नियमानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

**(vi)** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन आख्या फोटोग्राफ्स सहित तीन प्रतियों में निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की डुप्लीकेसी न हो। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

**(vii)** कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

**(viii)** कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

**(ix)** धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना से धनावंटन न किया गया हो। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा।

**(x)** वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाएगा तथा उक्तानुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराते हुए शत–प्रतिशत भौतिक प्रगति आख्या शासन को समयबद्ध ढ़ंग से अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

**(xi)** किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurment Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(xii)** स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

**(xiii)** मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

**(xiv)** उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे०आ०–सा०नि०) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

**(xv)** कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

**(xvi)** अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

**(xvii)** व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है, वहीं स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**(xviii)** कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

**(xix)** कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित महाप्रबन्धक भारतीय को–ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड एवं निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

**(xx)** उक्त भूमि पर निर्माण अपने देख–रेख में निर्धारित मानकों के आधार पर पूर्ण कराया जाये। किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं मानक विपरीत कार्य पाये जाने की स्थिति में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

private:stream

**(xxi)** निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

**(xxii)** विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

**(xxiii)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल, बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जाये।

**(xxiv)** स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

**(xxx)** प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी०एम०–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

**(xxvi)** कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/73259/2022 दिनांक 03.11.2022 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को कार्यदायी संस्था से राजकोष में जमा करवाते हुए उक्त की सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाएगी।

**(xxvii)** आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए।

**(xxviii)** योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**(xxix)** परिसर में स्वतः स्वछता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए।

**(xxx)** परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई०ई०सी०–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

**(xxxi)** व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019–XXVII(I)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**(xxxii)** अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अद्यतन रंगीन छायाचित्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में फंड पार्किंग नहीं की जायेगी।

**(xxxiii)** प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0सं0–14910/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**2.** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–102–खेलकूद स्टेडियम–15–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–53–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

**3.** उपरोक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई०डी० द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

**4.** यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कप्यूटरजनित क्रमांक–I/193866/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

**भवदीय,**

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 28-02-2024 17:54:17

**(अमित कुमार सिन्हा)**
**विशेष प्रमुख सचिव**

**पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2024–59(08)18 (CP No-68218), तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. महाप्रबन्धक भारतीय को–ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**
**अपर सचिव**

Signed by Jitendra Kumar Sonkar
Date: 29-02-2024 12:05:29

private:stream